

कार्यालय : सहायक शिक्षा निदेशक(वैसिक), तृतीय मण्डल, बरेली।

/2022-23 दिनांक - 24-9-2022

पत्रोंक-शि०स०/ 5261-62

प्रबन्धक

मदर्स पब्लिक स्कूल,  
कासिमपुर, पीलीभीत रोड, बीसलपुर  
जनपद-पीलीभीत

विषय- मदर्स पब्लिक स्कूल कासिमपुर, पीलीभीत रोड, बीसलपुर, जनपद पीलीभीत को कक्षा नर्सरी से कक्षा  
8 तक (अंग्रेजी माध्यम) की स्थाई मान्यता के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक-08.05.2013 में निहित प्राविधानों एवं मानकों को पूर्ण किये जाने के उपरान्त जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत के पत्रोंक-सह  
प्र०स०/मान्यता/2217-24/2018-19 दिनांक-17.12.2018 द्वारा आपके विद्यालय को दिनांक-01.04.2019 से  
31.03.2022 तक कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) तीन वर्ष के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान की गयी है। जिसके सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तत्सम्बन्धी संलग्नकों के माध्यम से विद्यालय के नवीनीकरण हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि स्थाई मान्यता के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक-08.05.2013 के प्रस्तर 15 के अनुसार "औपचारिक मान्यता अवधि में मान्यता की शर्तों का उल्लंघन न करने की स्थिति के संज्ञानित होने पर विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गई है। अतः मदर्स पब्लिक स्कूल कासिमपुर, पीलीभीत रोड, बीसलपुर, जनपद पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। भविष्य में कोई त्रुटि अथवा असत्यता पाये जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

N  
(गिरवर सिंह)

सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक)  
तृतीय मण्डल बरेली

/2022-23 दिनांकित।

पृ०स०-शि०स०/  
प्रतिलिपि-जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक)  
तृतीय मण्डल बरेली

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत।

पत्रांक: सह प्र०स०- / मान्यता २१) -२५ / 2018-19

दिनांक: १० दिसम्बर-2018

प्रबन्धक,

मदर्स पब्लिक स्कूल,  
कासिमपुर, पीलीभीत रोड, बीसलपुर,  
जनपद पीलीभीत।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) अधीन विधालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में शासनादेश सं० 419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक 08.05.2013 में निहित निर्देशानुसार गठित मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 03.12.2018 के निर्णयानुसार में, मदर्स पब्लिक स्कूल, कासिमपुर पीलीभीत रोड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत को दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए औपबंधिक मान्यता (अंग्रेजी माध्यम) प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता है।

- 1— मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है, और यह किसी भी रूप में कक्षा 08 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
- 2— विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (सलंगनक-1) दौर उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011(सलंगनक-2) के उपबन्धों जा पालन करें।।
- 3— विद्यालय कक्षा 1 में कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कन्त्रों द्वारा जैर साधन हीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा। और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह की पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
- 4— प्रस्तर-3 में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा-12(2) के अधीन आच्छादित हो, तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
- 5— समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जाँच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6— दिवालिय ग्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
  - (क) बालक का आयु प्रमाण पत्र न होने पर।
  - (ख) धर्म, जाति अथवा जर्सल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
- 7— विद्यालय निम्नलिखित वातों को सुनिश्चित करेगा :—
  1. किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश, दिये गये किसी बालक को किसी दक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  2. किसी भी बालक को रासायिक दण्ड या रोक जर्नल या नहीं दाखिला जायेगा।
  3. किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।

प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम-23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।

Samsung Quad Camera  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विभाग, विशेष भावाभूकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन।  
Shot with my Galaxy M32

6. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और ।
7. अध्यापक निजी अध्यापन किया—कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।
- 8— विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
- 9— विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपनाथ सुविधाओं के अनुपात में करेगा। जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- 10— विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
- 11— विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या—21 सन् 1860) के अधीन चंगीपूर समिति या तदसमय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।
- 12— विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह या व्यष्टि संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधाओं के लिए संचालित नहीं किया जाता है।
- 13— लेखाओं की सम्परीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
- 14— आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बंधित कोड संख्या..... है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्याक का उद्घृत करने का कष्ट करें।
- 15— विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बंधी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
- 16— समिति के पंजीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायें।
- 17— विद्यालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय—समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
- 18— सलांग अनुलंगनक तीन के अनुसार अन्य शर्त।

झॉड़िज़ नामक शिक्षा अधिकारी  
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,  
पूर्वोमात्र  
पीलीभीत।

पृष्ठ 0 सह पृष्ठ 0 / मान्यता / 2018-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— शिक्षा निदेशक (वो) उपरोक्त लिखनऊ।
- 2— सचिव, वैसिक शिक्षा परिषद उपरोक्त इलाहाबाद।
- 3— सहायक शिक्षा निदेशक (वो) तृतीय मण्डल बरेली।
- 4— जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पीलीभीत।
- 5— सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
पीलीभीत



Samsung Quad Camera  
Shot with my Galaxy M32